(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/11/2010-अ.भा.से.-I-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली; [illegible] जनवरी, 2012

<u>अधिसूचना</u>

श्री एच. जी. श्रीवारा बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सं. 1594/2011 के मामले में (दिनांक 29.11.2011 के आदेश के संशोधन हेतु प्रतिवादी सं. 3 अर्थात कर्नाटक सरकार की) सी.एम. सं. 701/2012 तथा (दिनांक 29.11.2011 के आदेश के मुकदमेबाजी और संशोधन हेतु सुश्री सत्यावती की) सी.एम. सं. 769-770/2012 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 17.1.2012 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, प्रवर सूची 2010 (वर्ष 2010 की रिक्तियों पर) राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर कर्नाटक की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को अगले आदेश तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उन्हें कर्नाटक संवर्ग में आवंटित करते हैं ।

<u>प्रवर सूची 2010 (वर्ष 2010 की रिक्तियों पर)</u>

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री)
1.	जी. सत्यावती

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्री एच.जी. श्रीवारा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दायर रिट याचिका सं. 1594/2011 के अध्यधीन है ।

(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)